संख्या-108/2016/2184/सैंतीस-2-2016-2(6)/03टीसी

प्रेषक,

प्राणेश चन्द्र शुक्ल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान
विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 नवम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा में प्रथम चरण में अनुमोदित निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के पत्र सं0-1124/लेखा/बजट(प्र.अ.)/2016-17, दिनांक-09.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-06-पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा' के मानक मद 20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा में प्रथम चरण में अनुमोदित निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित रू0-5450 हजार (रूपये चौवन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।
(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित प्रयोजन, वस्तुतः जिन कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी में किया जायेगा।
(4) उक्त धनराशि का आहरण करने हेतु वित्त अधिकारी एवं कुलपति द्वारा संयुक्त रूप से बिल पर हस्ताक्षर किया जायेगा और उसे जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा।
(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
(8) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय प्रायोजना की पुनरीक्षित आंकलित लागत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1409/सैंतीस-2-2015-2(6)/03टीसी, दिनांक-11.09.2015 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय की स्थापना विषयक अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व कुलपति, उ0प्र0पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा का होगा।

(11) वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-06-पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-2-997/दस-2016, दिनांक-28.10.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

<u>पु0सं0-108/2016/2184(1)/सैंतीस-2-2016- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
5. जिलाधिकारी, मथुरा।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
7. निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी, उ.प्र.पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
10. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in